(2013) 5 एस.सी.आर. 620

भारत संघ व अन्य

बनाम

एक्स-जीएनआर अजीत सिंह

(सिविल अपील संख्या 4465 वर्ष 2005)

अप्रैल 2, 2013

(डॉ. बी.एस. चौहान व फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, न्यायमूर्तिगण)

सेना नियम, 1950- धारा 39(ए) और 52(ए)- सेना नियम, 1951- नियम 65, 72 और 79- बिना अवकाश अनुपस्थित रहने, गोला बारूद की चोरी और कूटकृत मोहर कब्जे में रखने पर कोर्ट मार्शल की कार्यवाही-सेवा से निष्कासित और 07 वर्ष सश्रम कारावास का दण्ड-रिट याचिका-उच्च न्यायालय ने कहा कि संपूर्ण कोर्ट मार्शल प्रक्रिया दूषित हो गई क्योंकि अपराधी को उस अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जो उसके द्वारा किशोर के रूप में किए गए थे-लेकिन प्रत्येक आरोप पृथक और सुभिन्न अपराध के लिए था और प्रत्येक आरोप पृथक से विचारित किया जा सकता था-इसलिए कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया आंशिक वैद्य थी-प्रक्रिया के वैद्य भाग को अपराधों की पृथकरणीयता के सिद्धान्त को लागू करके बचाया

जा सकता था-इस कारण, संपूर्ण कोर्ट मार्शल प्रक्रिया अवैध नहीं मानी जा सकती-समस्त आरोपों के संयुक्त विचारण के द्वारा अभियुक्त को कोई अन्याय कारित नहीं हुआ है बल्कि वह फायदे में ही रहा है-इसलिए कोर्ट मार्शल द्वारा की गई दोषसिद्धि पोषणीय है लेकिन प्रकरण के तथ्यों की रोशनी में दण्ड को 05 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास किया गया-किशोर न्याय(बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000।

किशोर न्याय(बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 धारा 6,15,16,18,19,20,29,37-अधिनियम की प्रासंगिकता-अभिनिर्धारितः अधिनियम विशेष विधि होने से अन्य किसी भी विधि पर अधिभावी प्रभाव रखता है-वर्तमान प्रकरण में कोर्ट मार्शल कार्यवाही में प्रारम्भिक प्रक्रम पर किशोर होने का तर्क नहीं उठाया गया इसलिए लागू नहीं है-सेना नियम, 1951 नियम 51।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 464 आरोपों का कुसंयोजन-प्रभाव-अभिनिर्धारितः आरोपों का कुसंयोजन केवल एक अनियमितता है, जिसे ठीक किया जा सकता है-आरोपों का कुसंयोजन कार्यवाही को तब तक अमान्य नहीं करेगा जब तक कि न्याय की विफलता न हो या व्यथित व्यक्ति को पूर्वाग्रह से ग्रसित किया गया हो।

कोर्ट मार्शल-प्रकृति-कोर्ट मार्शल की कार्यवाही आपराधिक विचारण का विकल्प है-इसलिए कोर्ट मार्शल कार्यवाही के आदेशों के विरुद्ध

आने वाले प्रकरणों की जांच आपराधिक मामलों में लागू सिद्धान्तों/विधि के अनुसार की जानी चाहिए।

आपराधिक न्याय शास्त्र-न केवल अन्यायपूर्ण दोषसिद्धि से बल्कि दोषी को बरी कर दिए जाने से भी न्याय की विफलता होगी-यदि प्रकरण में पर्याप्त न्याय किया गया है तो केवल मात्र तकनीकिताओं के विरुद्ध होने पर उसे पराजित नहीं किया जाना चाहिए-न्याय में दया के साथ छेडछाड नहीं होनी चाहिए।

प्रतिवादी जो सेना में नामांकित था, उस पर तीन मौकों पर बिना अवकाश के अनुपस्थित रहने, दो मौकों पर गोला बारूद की चोरी करने और कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मोहर अपने कब्जे में रखने का आरोप लगाया गया था। उसकी निशांदेही पर चोरी का सामान बरामद कर लिया। जनरल कोर्ट मार्शल कार्यवाही के बाद उसे सेवा से बर्खास्तगी और 07 साल के सश्रम कारावास की सजा दी गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सजा की पुष्टि की गई थी। प्रतिवादी ने सजा के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी कि वह उस समय किशोर था, जब उसने कुछ आरोपित अपराध किए थे, इसलिए किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के मद्देनजर यह अपराध उन अन्य अपराधों के साथ संयुक्त रूप से विचारित नहीं किए जा सकते थे, जो उसने व्यस्क होने के बाद किए थे।

उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए रिट याचिका स्वीकार की कि संपूर्ण कोर्ट मार्शल प्रक्रिया दूषित हो गई क्योंकि अपराधी को उस अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जो उसके द्वारा किशोर के रूप में किए गए थे। अपीलकर्ता को प्रतिवादी के खिलाफ नए सिरे से उन अपराधों के लिए कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी गई, जो उसने व्यस्क होने के बाद किए थे, इसलिए यह अपील पेश की गई।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए-

अभिनिर्धारित किया: 1.1 किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 6 में एक सर्वोपरि खंड शामिल है, जो उस समय लागू किसी भी अन्य कानून को अधिभावी प्रभाव देता है। इसमें यह भी प्रावधन है कि किशोर न्याय बोर्ड, जहां इसका गठन किया गया है, को अधिनियम के तहत किशारों से संबंधित सभी कार्यवाहियों से ''विशेष रूप से निपटने की शक्ति होगी, जो अन्य कानूनों के साथ संघर्ष में है। इसके अलावा, इसके विभिन्न प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 15, 16, 18, 19 और 20 में निहित सर्वोपरि जेजे अधिनियम के पीछे विधायी इरादे को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकत हैं, यानी कि यह एक विशेष कानून है जिसका अभिभावी प्रभाव होगा कोई अन्य कानून, फिलहाल लागू है। धारा 29 और 37 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा दृष्टिकोण और भी मजबूत होता है, जो बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान करता है, जो बच्चों के पुनर्वास सहित सभी मामलों में कल्याण प्रदान करता है। (पैरा

15) (638-ई-जी)

1.2. अपराधी कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी ने किशोर होने की दलील नहीं दी, भले ही कुछ अपराधों को अंजाम देने के समय वह किशोर था। जहां किशोरवयता की दलील सुनवाई के प्रारंभिक चरण में नहीं उठाई गई है और केवल अपीलीय चरण पर ली गई है, इस न्यायालय ने लगातार दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, लेकिन सजा को रद्द कर दिया है। सेना नियमों के नियम 51 के अनुसार अभियुक्त को प्रारंभिक चरण में ही क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति उठानी होगी। यदि प्रतिवादी कार्यवाही प्रारंभ होने के समय ही किशोरता का उठाया होता तो जीसीएम का संचालन करने वाला प्राधिकारी उसके द्वारा किशोर के रूप में किए गए अपराधों के संबंध में आरोप हटा सकता था। इसके अलावा, नियम 72 आरोप तय करने या उस पर दोषसिद्ध होने पर सजा कम करने का प्रावधान करता है। (पैरा 10, 17 और 24) (634-एच, 635-ए, 639-सी-डी, 642-एफ-जी)

जयेन्द्र और अन्य बनाम यूपी राज्य एआईआर 1982 एससीआर 685:, गोपीनाथ घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एआईआर 1984 एससीआर 237:, 1984 एससीआर 803:, भूप राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1989 एससी1329:, उमेश सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एएआईआर 2000 एससी 2111:, अकबर शेख और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2009) 7 एससीसी 415:, हरिराम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। (2009) 13 एससीसी 211: 2009 (7) एससीआर 623:, बबला

उर्फ दिनेश बनाम उत्तराखण्ड राज्य (2012) 8 एससीसी 800: 2012 (7) एससीआर 477 अबुजर हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2012) 10 एससीसी 489: 2012 (9) एससीआर 244 संदर्भित।

2.1. प्रतिवादी ने देर से ही सही, सभी अपराधों के लिए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। भारतीय सेना के सदस्य के रूप में, प्रतिवादी राष्ट्र की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध था। उनका आचरण उन स्थितियों की याद दिलाता है जब ई ''विधायक ही उल्लंघनकर्ता बन जाता है' और ''बाड ही फसल खा जाती है''। उन्होंने राष्ट्र की रक्षा करने के बजाय उसे गाली दी। इसलिए उनका आचरण अक्षम्य और सैनिक बनने के लायक नहीं था, (पैरा 24/642-एचः 643-ए-बी)

2.2. प्रतिवादी की सेवा की प्रकृति, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसके द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, ''न्याय, समानता और अच्छे विवेक'' के सिद्धान्तों पर भी, प्रतिवादी को राहत प्रदान की जाती है। अनुमति योग्य नहीं था, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों की गंभीरता पर विचार किए बिना और इस बात पर विचार किए बिना कि क्या ऐसी तथ्य-स्थिति के प्रकाश में, प्रतिवादी के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा हुआ हो, लापरवाही से मामले का फैसला किया है। (पैरा 27 व 12/637-सीः 644-बी)

2.3. प्रत्येक आरोप एक अलग और विशिष्ट अपराध के संबंध में था। प्रत्येक आरोप का विचारण पृथक से किया जा सकता था। इस प्रकार, जीसीएम के माध्यम से किया गया परीक्षण आंशिक रूप से वैध है।

प्रतिवादी द्वारा 18 वर्ष की आयु, प्राप्त करने के बाद किये गये अपराध उसी लेन-देन का हिस्सा नहीं थे जो उसके द्वारा किशोर के रूप में किए गए अपराधों से संबंधित थे। न ही वे इतने जटिल और आपस में गुंथे हुए है कि इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, आदेश के मात्र एक भाग की अमान्यता जीसीएम द्वारा की गई कार्यवाही को पूरी तरह से अमान्य नहीं करता है, इसलिए कार्यवाही के वैध हिस्से को पृथक्करणीय अपराधों के सिद्धान्त को लागू करके बचाया जाना आवश्यक है। (पैरा 26) (643-डी-ई)

2.4. चूंकि वयस्कता प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी द्वारा किए गए अपराध बहुत गंभीर प्रकृति के थे,सेना नियम 65 के प्रावधानों के मद्देनजर केवल समग्र (एकल) सजा की अनुमति है, उच्च न्यायालय इस पर विचार करते हुए प्रतिवादी द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर किए गए अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा को प्रतिस्थापित कर सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय के पास यह कहने का कोई औचित्य नहीं था कि संपूर्ण जीसीएम प्रक्रिया दूषित थी। (पैरा 18) (639-एफ-जी)

2.5. बिना अवकाश के अनुपस्थित रहने पर सेना अधिनियम की धारा 39(ए) के तहत अधिकतम सजा, 3 वर्ष का सश्रम कारावास का प्रावधान है। धारा 5 के तहत किए गए किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा 10 साल की सजा हैः और हमारे लिए धारा 69, अधिकतम सजा 07 वर्ष सश्रम कारावास है, संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विज में जी सेना आर के नियम 65 में निहित प्रावधानों के तहत प्रतिवादी को सभी आरोप साबित होने पर 7 साल की आरआई की सजा दी गई। हालांकि अकेले दूसरे चरण के लिए, प्रतिवादी को 10 वर्ष सश्रम से दंडित किया जा सकता था। अपराधी को प्रत्येक मामले में 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। और चार्ज संख्या 6 के लिए 7 साल की सजा हो सकती थी। प्रतिवादी नियम 79 के तहत अलग-अलग आरोपों की अलग-अलग सुनवाई की मांग कर सकता था। हालांकि, उस मामले में सजा बहुत अधिक गंभीर होती, क्योंकि सभी सजाएं एक साथ नहीं चल सकती थी। वास्तव में, प्रतिवादी ने सभी आरोपों के संयुक्त परीक्षण से भी स्वयं को लाभान्वित किया है और इस प्रकार, वह किसी भी तरह से यह दावा नहीं कर सकता है कि इस तरह के प्रक्रिया का सहारा लेने से उसका मामला पूर्वाग्रहग्रस्त हो गया है। उच्च न्यायालय को मामले पर निर्णय लेने के लिए सेना नियमों के नियम 72 का अवलोकन करना चाहिए था, क्योंकि इसमें उस स्थिति में सजा कम करने का प्रावधान है, जब कोई आरोप या निष्कर्ष अमान्य पाया जाता है, क्योंकि नियम 65 के

प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी पर उन अपराधों के लिए जीसीएम द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था जो उसके द्वारा किशोर के रूप में किए गए थे। (पैरा 19 और 27) (639-एच, 640-ए-सी, 643-एफ-एच, 644-ए)

2.6. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया है और जीसीएम द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के आदेश को बहाल किया गया है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, जीसीएम द्वारा लगाई गई सजा को घटाकर पांच साल कर दिया गया है। (पैरा 28) (644-सी-डी)

3. हालांकि मामले को सिविल अपील के रूप में चित्रित किया गया है। परंतु वास्तव में यह पूरी तरह से एक आपराधिक मामला है। जीसीएम आपराधिक मुकदमें का एक विकल्प है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मुकदमें में लागू सिद्धान्तों/कानून को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जानी चाहिए थी। प्रतिवादी सेना अधिनियम और सेना नियमों द्वारा शासित होना है, न कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों द्वारा। हालांकि, सी.आर.पी.सी. मूल रूप से प्राकृतिक न्याय आदि के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक मामलों से संबंधित है। इस प्रकार, इसमें निहित सिद्धान्त आरोपों के गलत संयोजन और विभिन्न अलग-अलग आरोपों/अपराधों के लिए एक संयुक्त परीक्षण के संबंध में दिशानिर्देश प्रदान कर सकते है क्योंकि सेना में समान प्रावधान

है। एक नियम, सीपीसी की धारा 464 में यह प्रावधान है कि कोई निष्कर्ष या सजा केवल इसलिए अमान्य नहीं होगी क्योंकि आरोप तय करने में कोई चूक या त्रुटि हुई है या आरोपों में गडबडी हुई है, जब तक कि वास्तव में ''न्याय की विफलता न हुई हो। आरोपों में गडबडी का मामला है, केवल एक अनियमितता है, जिसे ठीक किया जा सकता है और यह कोई अवैधता नहीं है जो कार्यवाही को शून्य कर देगी। अदालत को ऐसे आधारों पर सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत द्वारा पारित सजा या दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि ऐसा न किया गया हो, में न्याय की विफलता हुई और पीडित व्यक्ति अदालत को संतुष्ट करता है कि उसका मामला वास्तव में किसी तरह से पूर्वाग्रहित हो गया है। (पैरा 13 और 14) (637-ई-एच, 638-ए-बी)

बिरिच भुइयां और अन्य बनाम बिहार राज्य एएआईआर 1963 एससीडी 1120: 1963 पुरक एससीआर 328: कमलनथा और अन्य बनाम तमिलनाडू राज्य एआईआर 2005 एससी 2132: 2005 (3) एससीआर 182: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पारस नाथ सिंह (2009) 6 एससीसी 372: 2008 (13) एससीआर 800-पर निर्भर।

4.1. ''न्याय की विफलता केवल अन्यायपूर्ण सजा, करना ही नहीं बल्कि दोषियों को बरी करना भी है। न्यायालय को यह जांचना होगा कि क्या वास्तव मे न्याय की विफलता है या यह केवल दिखावा है। न्याय एक ऐसा गुण है जो सभी बाधाओं से परे है। न तो प्रक्रिया के नियम, न ही

कानून की तकनीकिताएं इसके रास्ते में आ सकती है। न्याय के आगे कानून भी झुक जाता है। न्यायालय का आदेश किसी के लिए प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, न्याय का अर्थ है, दोनों पक्षों के बीच न्याय। न्याय के हित समान रूप से मांग करते है कि ''दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए'' और तकनीकिताएं और अनियमितताएं, जो'' ''
बनती है, उन्हें न्याय के उद्देश्यों को पराजित करने की अनुमति नहीं है। उन्हें बिल्कुल विपरीत लक्ष्य हासिल करने के लिए विकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि यह प्रति उत्पादक होगा। ''अदालतें न्याय देने के लिए मौजूद है, न्याय न करने के लिए नहीं। और, जो न्याय दिया जाना है, वह ताड के पेड का न्याय या अनोखी प्रकृति का नहीं है। कानून तोडने वालों के लिए कानून कोई पलायन का मार्ग नहीं है, क्योकि यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो इससे कानून के शासन को कायम रखने से भी बडा अन्याय हो सकता है। दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए, और यदि पर्याप्त न्याय किया गया है, तो तकनीकिताओं के खिलाफ खडा होने पर उसे पराजित नहीं किया जाना चाहिए। (पैरा 20 और 22) (640-ईः641-ई-एचः 642-ए)

दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य एआईआर 2013 एससी 840: 2012 (7) एससीआर 541: शिवाजी साहेबराव बोबडे और अन्य बनाम महाराष्ट् राज्य एआईआर 1973 एससी 2622: 1974 (1)एससीआर 489: रफीक अहमद उर्फ रफी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। एएआईआर 2011 एससी 3114

2011(11) एससीआर 907: रतीराम व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य। एआईआर सी 2012 एससी 1485: 2012 (3) एससीआर 496: भीमन्ना बनाम कर्नाटक राज्य एआईआर 2012 एससी 3026: 2012 (7) एससीआर 909: रमेश हरिजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 2012 एससी 1979: 2012 (6) एससीआर 688: सुच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य एआईआर 2003 एससी 3617 एस गणेशन बनाम राम रघुरामन और अन्य। (2011)2 एससीसी डी 83: 2011 (1) एससीआर 27: रमेश कुमार बनाम रामकुमार व अन्य। एआईआर 1984 एससी 1929: एस नागराज बनाम कामताका राज्य 1993 पूरक (4) एससीसी 595: 1993 (2) पूरक। एससीआर 1, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एवं अन्य बनाम एस.के. शर्मा एआईआर 1996 एससी 1660: 1996 (1) एससीआर 218: शमन साहेब एम. मुल्तानी बनाम स्टेट बैंक ऑफ ई कर्नाटक एआईआर 2001 एससी 921: 2001 (1) एससीआर 514- पर भरोसा किया गया।

4.2. न्याय वह गुण है जिसके द्वारा समाज/न्यायालय/न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति को चोट या गलत के विरोध में उसका हक देता है। न्याय उस व्यक्ति के प्रति सही और न्यायसंगत प्रतिपादन करने का एक कार्य है, जिसने गलत सहा है। इसलिए, न्याय को दया से जोडते समय, न्यायालय को बहुत सचेत रहना चाहिए, कि उसे कानून के अनुरूप ही न्याय करना है, क्योंकि मानवीय कार्य इसी आधार पर उचित या अनुचित पाए जाते है कि वें कानून के अनुरूप है, या कानून के विरोध में है। (पैरा 23) (642-

डी-ई)

दिल्ली प्रशासन बनाम गुरूदीप सिंह उबन एआईआर 2000 एससी 3737: 2000 (2) पूरक। एससीआर 496: गिरीमल्लप्पा बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी एम और एमआईपी और अन्य। एआईआर 2012 एससी 3101: 2012 एससीआर 975 पर भरोसा किया गया।

न्याय निर्णय सन्दर्भ

1963 पूरक एससीआर 328	पर भरोसा किया	पैरा 14
2005 (3) एससीआर 182	पर भरोसा किया	पैरा 14
2008 (13) एससीआर 800	पर भरोसा किया	पैरा 14
एआईआर 1982 एससी 685	प्रेषित	पैरा 17
1984 एससीआर 803	प्रेषित	पैरा 17
एआईआर 1989 एससी 1329	प्रेषित	पैरा 17
एआईआर 2000 एससी 2111	प्रेषित	पैरा 17
(2009)7 एससीसी 415	प्रेषित	पैरा 17
2009 (7) एससीआर 623	प्रेषित	पैरा 17
2012 (7) एससीआर 477	प्रेषित	पैरा 17

2012 (9) एससीआर 244	प्रेषित	पैरा 17
2012 (7) एससीआर 541	पर भरोसा किया	पैरा 20
1974 (1) एससीआर 489	पर भरोसा किया	पैरा 20
2011 (11) एससीआर 907	पर भरोसा किया	पैरा 20
2012 (3) एससीआर 496	पर भरोसा किया	पैरा 20
2012 (7) एससीआर 909	पर भरोसा किया	पैरा 20
2012 (6) एससीआर 688	पर भरोसा किया	पैरा 21
एआईआर 2003 एससी 3617	पर भरोसा किया	पैरा 21
2011 (1) एससीआर 27	पर भरोसा किया	पैरा 21
एआईआर 1984 एससी 1929	पर भरोसा किया	पैरा 22
1993 (2) पूरक एससीआर 1	पर भरोसा किया	पैरा 22
1996 (1) एससीआर 818	पर भरोसा किया	पैरा 22
2001 (1) एससीआर 514	पर भरोसा किया	पैरा 22
2000(2) पूरक एस सी आर 496	पर भरोसा किया	पैरा 23
2012 एस सी आर 975	पर भरोसा किया	पैरा 23

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नंबर 4465/2005

उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका (सिविल) नंबर 8573/2003 में पारित निर्णय आदेश दिनांक 08.03.2024 से।

पारस कुहाड़ ए एस जी वसीम ए कादरी आर बालासुब्रमानी, शुभम अग्रवाल, बी. वी. बलरामदास, अनिल कटियार अपीलार्थी की ओर से।

एस एम दलाल, रामेश्वर प्रसाद गोयल प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय में निर्णय डॉ. बी. एस. चौहान न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया।

1. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायाल, नई दिल्ली द्वारा 2003 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 8573 में पारित दिनांक 08.03.2004 के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके माध्यम से उच्च न्यायालय ने जनरल कोर्ट मार्शल(इसके बाद 'जीसीएम' के रूप में सदर्भित) द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2003 द्वारा प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्तगी और 7 साल के कठोर कारावास (इसके बाद ' संदर्भित) की सजा दी थी, को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, किशोर न्याय(बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000(इसके बाद 'जेजे अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत, प्रतिवादी पर उस अवधि से संबंधित आरोपों के लिए जीसीएम द्वारा

मुकदमा नहीं चलाया जा सकाता जब वह किशोर था और इसलिए, जीसीएम की कार्यवाही पूरी तरह से दूषित हो गई। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी द्वारा किए गऐ अपराधों से संबंधित आरोपों पर एक नई जीसीएम आयोजित करने की स्वतत्रंता दी है।

2. इस अपील को पेश होने वाले तथ्य और परिस्थितियां इस प्रकार हैः-

ए. प्रतिवादी 15.12.2000 को सेना में भर्ती हुआ था, और 77 मीडियम रेजिमेंट में तैनात था। दिनांक 26.02.2022 से 08.03.20022 अर्थात (11 दिन) तक बिना अवकाश के अनुपस्थित रहा। प्रतिवादी ने, 17/18.03.2002 को उक्त रेजिमेंट के गोला बारूद डंप पर संतरी ड्यूटी पर रहते हुए, 30 ग्रेनेड हैंड नंबर 36 उच्च विस्फोटक और 5.56 एमएम इंसास के 160 राउंड की चोरी की। प्रतिवादी एक बार फिर 12.06.2002 से 02.09.2002(81 दिन) तक बिना अवकाश के अनुपस्थित रहा। प्रतिवादी एक बार फिर 04.09.2002 से 26.09.2002 को कार्बाइन मशीन गन 9 एमएम की चोरी भी की।उसे रेलवे पुलिस फुलेरा(राजस्थान) द्वारा उक्त कार्बाइन मशीन गन के साथ पकडा गया था, और रेलवे पुलिस द्वारा 04.10.2002 को एफआईआर संख्या 56/2002 दर्ज की गई थी।

बी. दिनांक 11.10.2002 को, प्रतिवादी को मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट, जोधपुर के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने प्रतिवादी को सैन्य अधिकारियों को सौंपने का आदेश पारित किया, और बाद में उनके बताये अनुसार दफनाए गए, चुराए गए गोला बारूद यानी 30 ग्रेनेड और 1310.2002 को 5.56 एमएम इंसास राउंड बरामद किये गये। कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया गया और साक्ष्य का सारांश दर्ज किया गया।

सी. प्रतिवादी को 11.03.2003 को आरोप पत्र सौंपा गया था और इसमें सेना अधिनियम, 1960(इसके बाद 'सेना अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत छह आरोप शामिल थे। जीसीएम कार्यवाही के समापन के बाद, प्रतिवादी को दिनांक 03.04.2003 के आदेश के तहत सजा दी गई, जैसा कि यहां ऊपर बताया गया है।

डी. सेना अधिनियम की धारा 164(2) के तहत याचिका पर विचार करते समय जीसीएम में दी गई सजा की पुष्टि सक्षम प्राधिकारी, यानी सेना प्रमुख द्वारा की गई थी। समाज की ऐसी पुष्टि के बाद, प्रतिवादी को सजा काटने के लिए आगरा की सिविल जेल में सौंप दिया गया। प्रतिवादी ने सजा के उक्त आदेश के खिलाफ पोस्ट कन्फर्मेशन याचिका दायर की।

ई. पोस्ट पुष्टिकरण याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें दिनांक 03.04.2003 के उक्त आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी

गई कि कुछ आरोपित अपराधों केसमय वह किशोर था और जेजे अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर, उन अपराधों की संयुक्त सुनवाई जो उसने कथित तौर पर एक किशोर के रूप में की थी और अन्य अपराध जो उसने कथित तौर पर वयस्क होने के बाद किए थे, ने जीसीएम कार्यवाही को पूरी तरह दूषित कर दिया था।

एफ. अपीलकर्ता ने उक्त रिट याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि कुछ अपराध जिनके लिए प्रतिवादी पर अरोप लगाए गए थे, वे बहुत गंभीर प्रकृति के थे, और वे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी द्वारा किए गए थे। इसके अलावा, जब जीसीएम की कार्यवाही चल रही थी तब प्रतिवादी ने किशोर होने की दलील नहीं दी थी।

जी. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त सजा को रद्द करते हुए रिट याचिका को स्वीकार किया और कहा कि पूरी जीसीएम कार्यवाही दूषित हो गई है, क्योंकि जीसीएम को उन अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसके द्वारा किशोर के रूप में किए गए थे। इसलि, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। हालांकि, विशेष आरोपों के संबंध में जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसके द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित थे, अपीलकर्ता को उसके विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने की स्वतत्रंता दी गई थी। इसलिए, यह अपील पेश हुई।

3. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान एएसजी श्री पारस कुहाड ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने यह मानकर त्रुटि की है कि संपूर्ण जीसीएम कार्यवाही दूषित हो गई है, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद गंभीर अपराध किए गऐ थे और कम से कम ऐसे विशिष्ट आरोपों के संबंध में, जीसीएम कार्यवाही को दूषित नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भले ही उच्च न्यायालय ने पाया हो कि कुछ आरोपित अपराधों के समय प्रतिवादी किशोर था, अधिकतम सजा को रद्द किया जा सकता था, दोषसिद्धि कायम रहनी चाहिए थी। अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं

4. इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एसएम दलाल ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने सभी प्रासंगिक तथ्यों और कानून, विशेष रूप से जेजे अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया है, और इसकी सही व्याख्या की है, क्योंकि जीसीएम का गठन उन अपराधों से संबंधित आरोपों के लिए आयोजि नहीं किया जा सकता था जो प्रतिवादी ने एक किशोर के रूप में किए थे, जिसके कारण पूरी कार्यवाही दूषित हो गई थी। इसलिए, आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने उभयपक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत परस्पर विपरीत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. प्रतिवादी को जारी किए गए आरोप पत्र के प्रासंगिम भाग इस प्रकार हैः-

(i) पद्ध सेना अधिनियम धारा 52(ए) के तहत आरोप लगाया गया-17/18.03.2002 को 30 ग्रेनेड हैंड नंबर 36 उच्च विस्फोटक और 5.56 एमएम इंसास के 160 राउंड की चोरी।

(ii) पपद्ध सेना अधिनियम धारा 52(ए) के तहत आरोप लगाया गया-27.09.2002 को कार्बाइन मशीन गन 9 एमएम की चोरी।

(iii) पपपद्ध सेना अधिनियम धारा 39(ए) के तहत आरोप लगाया गया-26.02.2002 से 08.03.2002 तक बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित।

(iv) पअद्ध सेना अधिनियम धारा 39(ए) के तहत आरोप लगाया गया-12.06.2002 से 02.09.2002 तक बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित।

(v) अद्ध सेना अधिनियम धारा 39(ए) के तहत आरोप लगाया गया-04.09.2002 से 27.09.2002 तक बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित।

(vi) अपद्ध सेना अधिनियम धारा 69 के तहत आरोप लगाया गया-भारतीय दंड संहिता, 1860(इसके बाद इसे' '

किया जाएगा) की धारा 473 के विपरीत जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर रखना।

7. हमने जीसीएम कार्यवाही के मूल रिकॉर्ड को तलब किया है जो यह स्पष्ट करता है कि प्रतिवादी को एक बचाव वकील, अर्थात डॉ. बलबीर सिंह, जो उपरोक्त जीसीएम कार्यवाही में एक पैरोकार वकील थे, प्रदान किया गया था। दूसरे, यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त द्वारा बचाव में कोई गवाह नहीं बुलाया गया।तीसरा, यह स्पष्ट है कि उन्होंने अदालीत के गवाहारों से जिरह नहीं की और इस प्रकार सेना नियमों के नियम 141(2) और 142(2) का अनुपालन किया गया। प्रश्न 16 में यह पूछ जाने पर कि क्या अभियुक्त न्यायालय को संबोधित करना चाहता था, उसमें सकारात्मक उत्तर दिया और कहाः

> ".....कि मैं अपने कर्तव्यों पर सचमुच शर्मिंदा हूं और अपने कृत्यों पर सचमुच पछतावा करता हूं। पिछले सात महीनों से मैं इस रजिमेंट से जुडा हुआ हूं और जिस दुख और शर्मिदगी से मैं गुजर रहा हूं वह एक सजा से भी ज्यादा है। मेरा परिवार भी आय के स्थायी स्त्रोत के लिए मुझ पर निर्भर है। मेरी एक छोटी बहन है जिसकी शादी की जिम्मेमदारी भी मेरे कंधों पर है। मैं एक सैनिक हूं

और अभी-अभी अपना कैरियर शुरू किया है। मैं माननीय न्यायाधीशों से अनुरोध करता हूं कि सेवा की इस कम उम्र में मेरे करियर और जीवन के सभी पडाव बंद न करें और मुझे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के साथ-साथ अपने माता-पिता की आकांक्षाओं को बनाए रखने का मौका दें।''

8. इसके अलावा, रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने कमांडिंग ऑफिसर के सामने आरोप पत्र में उल्लिखित हथियार और गोला-बारूद चोरी करने की बात कबूल की थी। यह उसके द्वारा दी गई जानकारी के कारण चोरी हुआ गोला-बारूद बरामद हुआ। उसने यह भी स्वीकार किया था कि उसने वसीम अली नाम के एक नागरिक को 30,000 रूपये की राशि के लिए 156 मिमी इंसास की 140 राउंड गोलियां बेची थीं, हालांकि बाद में उसने दावा कि उसने यह विवरण गढे थे।

सजा कम करने के लिए अपनी प्रार्थना में, प्रतिवादी ने कहा है कि वह केवल 22 वर्ष का था, और उसका पूरा जीवन उसके मसाने था। उसके माता पिता बूढे थे और वह घर में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति था। उस पर अपनी बहन की शादी की जिम्मेदारी थी। कार्यवाही के शुरूआती चरणों में, उसने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया और, और उसने जो भी गलती की थी वह केवल उसकी अपरिपक्वता के कारण थी। इसके अलावा

इनसे कहा कि वह अपने अपराध की गंभीर प्रकृति को समझता है।

9. कार्यवाही के मूल रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रतिवादी ने शुरू में अपने खिलाफ लगाए गए सभी 6 आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। 1 अप्रैल, 2003 को अभियोजन पक्ष के पांचवें गवाह (मेजर एसआर गुलिया) की जांच के दौरान, प्रतिवादी ने बचाव के लिए सुनवाई की अनुमति देने का अनुरोध किया था। उस स्तर पर, उन्होंने कहा थाः

> ''मैं दोषी नहीं, की अपनी याचिका वापस लेना चाहता हूं, और सभी छह आरोपों के लिए 'दोषी होना चाहता हूं, जैसाकि मेरे खिलाफ आरोप पत्र(बी-2) में निहित है, और इसलिए, अभियोजन पक्ष के गवाह अदालत के समक्ष उपस्थित होते हैं, कृपया उनको कार्यमुक्त होने की अनुमति दी जाए।''

उन्होंने आगे कहा कि वह कोर्ट मार्शल की शुरूआत से ही अपना अपराध स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता और अन्य रिश्तेदारों ने उन्हें 'दोषी नहीं कहने के लिए गुमराह किया था।

इस बिन्दु पर, जज एडवोकेट ने अभियुक्त की याचिका को 'दोषी नहीं से 'दोषी' में बदल दिया, और नियम 52(2) और (2ए) 54 और 55 सेना नियम का उल्लेख किया। जज एडवोकेट द्वारा यह विधिवत बताया गया कि अभियुक्त को मुकदमे के दौरान किसी भी बिन्दु पर अपनी याचिका बदलने का अधिकार है, जब तक कि ऐसा करने का प्रभाव उसे ठीक से समझाया गया हो।

10. निस्संदेह, सेवा रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवादी की जन्म तिथि 20.04.1984 है, उसने 20.04.2002 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त की। तद्नुसार, आरोप संख्या 2, 4, 5 और 6 उन अपराधों से संबंधित हैं जो प्रतिवादी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किए। स्वीकृत रूप से जीसीएम कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी ने किशोर होने की दलील नहीं दी, भले ही कुछ अपराधों को अंजाम देने के समय वह किशोर था।

11. प्रासंगिक सेना नियम, 1954 (बाद में 'सेना नियम' के रूप में संदर्भित), जो इस अपील में आकर्षित हो सकत हैं, निम्नानुसार पढ़ेः

> "51. क्षेत्राधिकार के लिए विशेष दलील.-(1) अभियुक्त, किसी आरोप की पैरवी करने से पहले, अदालत के सामान्य क्षेत्राधिकार के लिए एक विशेष याचिका पेश कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है, ओर अदालत मानती है कि

ऐसी याचिका में कही गई कोई भी बात यह दर्शती है कि अदालत के पास इसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है तो वह समर्थन में पेश किए गए किसी भी सबूत को प्राप्त करेगा, साथ ही अभियोजक द्वारा उसके खण्डन या योग्यता में पेश किए गए किसी भी सबूत के साथ, और अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से कोई भी पता और उसके संदर्भ में अभियोजक द्वारा उत्तर प्राप्त करेगा।

XX XX XX XX

52. ''दोषी'' या ''दोषी नहीं'' की सामान्य दलील

(1).....

(2.) यदि कोई आरोपी व्यक्ति ''दोषी'' होने की दलील देता है, तो उस दलील को अदालत के निष्कर्ष के रूप में दर्ज कियश जाएगा, लेकिन इसे दर्ज करने से पहले, अदालत की ओर से पीठासीन अधिकारी या न्यायाधीश-अधिवक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि अभियुक्त उस आरोप की प्रकृति को समझता है जिसके लिए उसने दोषी ठराया है और उसे उस याचिका के सामान प्रीााव के बारे में सूचित करेगा, और विशेष रूप से उस आरोप के अर्थ के बारे में जिसके लिए उसने दोषीमाना है, और प्रक्रिया में अंतर जो दोषी होने की

दलील से किया जाएगा, और उसे उस याचिका को वापिस लेने की सलाह देगा यदि साक्ष्य के सारांश से यह प्रतीत होता है कि आरोपी ''दोषी नहीं का अनुरोध करना चाहिए।

XX XX XX XX

65. न्यायालय उन सभी अपराधों के संबंध में एक ही सजा देगा, जिनमें अभियुक्त दोषी पाया गया है, और ऐसी सजा प्रत्येक आरोप में उन अपराधों के संबंध में दीगई मानी जाएगी जिनके संबंध में यह कानूनी रूप से दी जा सकती है और नहीं। किसी अपराध के संबंध में ऐसा आरोप दिया जाना चाहिए जिसके संबंध में कानूनी तौर पर यह नहीं दिया जा सकता।

72. आंशिक पुष्टि पर सजा का शमन-

(1).....

(2) जहां कई आरोपों में अपराधों के संबंध में कोर्ट-मार्शल द्वारा सजा सुनाई गई है और इसकी पुष्टि की गई है, और किसी एक या ऐसे आरोप पर निष्कर्ष अमान्य पाया जाता है, प्राधिकरण दी गई सजा को कम करने, माफ करने, या कम करने की शक्ति होने पर, ऐसी अमान्यता के तथ्य को ध्यान में रखा जाएगा, और यदि यह उचित लगता है, तो

अपराधों को ध्यान में रखते हुए दी गई सजा को कम, माफ या कम किया जाएगा। उन आरोपों में जो निष्कर्षों के साथ अमान्य नहीं है, और इस प्रकार संशोधित सजा उतनी ही वैध होगी जितनी की मूल रूप से केवल उन अपराधों के संबंध में दी गई थी।

79. पृथक-पृथक आरोप-पत्र-

(1) XX XX XX

(2) XX XX XX

(3) XX XX XX

(4) XX XX XX

(5) जहां एक आरोप-पत्र में एक से अधिक आरोप हों, तो अभियुक्त, पैरवी करने से पहले, उस आरोप-पत्र में किसी भी आरोप या आरोप के संबंध में अलग से मकदमा चलाने का दावा कर सकता है, इस आधार पर कि उसे अपने बचाव में शर्मिंदा होना पडेगा। यदि उस पर अलग से मुकदमा न चलाया गया हो, और ऐसे मामले में अदालत जब तक यह न समझे कि उसका दावा अनुचित है, तब तक वह आरोपी को दोषी ठहराएगी और उसी तरह से मुकदमा चलाएगी जैसे

कि संयोजक अधिकारी ने उक्त आरोप या आरोपों को अलग-अलग आरोप-पत्रों में डाला था।" (बल दिया गया)

12. दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय का ध्यान उपरोक्त प्रासंगिक नियमों और वर्तमान मामले के तथ्यों पर उनके आवेदन के दायरे की ओर आकर्षित नही किया गया। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों की गंभीरता पर विचार किए बिना और इस बात पर विचार किए बिना कि क्या ऐसी तथ्य-स्थिति के प्रकाश में, प्रतिवादी के प्रति कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ था, इस मामले का निर्णय लापरवाही से किया है। इस संबंध में प्रश्न कि क्या वर्तमान मामले में न्याय में कोई विफलता हुई है और क्या मामले के तथ्यों के प्रकाश में, संपूर्ण जीसीएम कार्यवाही वास्तव में दूषित हो गई है, क्योंकि उन आरोपों केलिए जीसीएम द्वारा प्रतिवादी पर वास्तव में मुकदमा नहीं चलाया जा सका है, जब प्रतिवादी किशोर था तब अपराध किया गया था।

13. हालांकि मामले को सिविल अपील के रूप में चित्रित किया गया है, वास्तव में यह पूरी तरह से एक आपराधिक मामला है। जीसीएम आपराधिक मुकदमे का एक विकल्प है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मुकदमे में लागू सिद्धांतों/कानून को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जानी चाहिए थे। प्रतिवादी सेना अधिनियम और सेना नियमों

द्वारा शासित होता है, न कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973(इसके बाद 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों द्वारा। हालांकि, सी.आर.पी.सी. मूल रूप से प्राकृतिक न्याय आदि के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक मामलों से संबंधित है। इस प्रकार, इसमें निहित सिद्धांत आरोपों के गलत संयोजन और विभिन्न अलग-अलग आरोपों/अपराधों के लिए एक संयुक्त परीक्षण के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान कर सकत हैं जैसाकि सेना नियमों में इसके समान प्रावधान है। सीआरपीसी की धारा 464 में यह प्रावधान है कि कोई निष्कर्ष या सजा केवल इसलिए अमान्य नहीं होगी क्योंकि आरोप तय करने में कोई चूक या त्रुटि हुई है या आरोपों में गडबडी हुई है, जब तक कि वास्तव में ''न्याय की विफलता न हुई हो।

14. बिरिच भुइयां और अन्य बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1963 एससी 1120 में इस न्यायालय ने माना है कि आरोपों के गलत संयोजन का मामला केवल एक अनियमितता है जिसे ठीक किया जा सकता है, और यह कोई अवैधता नहीं है जो कार्यवाही को शून्य कर देगी। अदालत को ऐसे आधारों पर सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत द्वारा पारित सजा या दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि इसमें न्याय की विफलता न हुई हो, और पीडित व्यक्ति अदालत को संतुष्ट कर दे कि उसका मामला वास्तव में किसी तरह से पूर्वाग्रहस्त हो गया है।

इसी तरह का दृष्टिकोण कमलनंथा और अन्य बनाम तमिलनाडु

राज्य, एआईआर 2005 एससी 2132, और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पारस नाथ सिंह, (2009) 6 एससीसी 372 में भी दोहराया गया है।

15. दिनांक 01.04.2001 को लागू हुए जेजे अधिनियम ने जेजे अधिनियम 1986 को निरस्त कर दिया, और प्रावधान किया कि किशोर वह व्यक्ति होगा जो 18 वर्ष से कम आयु का होगा।

जेजे अधिनियम की धारा 6 में एक गैर-अस्थिर खंड शामिल है, जो उस समय लागू किसी भी अन्य कानून को अधिभावी प्रभाव देता है। इसमें यह भी प्रावधन है कि किशोर न्याय बोर्ड, जहां इसका गठन किया गया है, को अधिनियम के तहत किशारों से संबंधित सभी कार्यवाहियों से ''विशेष रूप से निपटने की शक्ति होगी, जो अन्य कानूनों के साथ संघर्ष में है। इसके अलावा, इसके विभिन्न प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 15, 16, 18, 19 और 20 में निहित गैर-अस्थि खंड, जेजे अधिनियम के पीछे विधायी इरादे को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकत हैं, यानी कि यह एक विशेष कानून है जिसका अभिभावी प्रभाव होगा कोई अन्य कानून, फिलहाल लागू है। धारा 29 और 37 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा दृष्टिकोण और भी मजबूत होता है, जो बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान करता है, जो बच्चों के पुनर्वास सहित सभी मामलों में कल्याण प्रदान करता है।

16. जेजे अधिनियम की धारा 2 का खंड(एन) 'अपराध' को उस

समय लागू किसी भी कानून के तहत दंडनीय अपराध के रूप में परिभाषित करता है। इस प्रकार, उक्त प्रावधान आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधस या किसी स्थानीय या विशेष विधि के तहत दंडनीय अपराध के बीच कोई अंतर नहीं करता है।

17. इस न्यायालय द्वारा जेजे अधिनियम के प्रावधानों की बार-बार व्याख्या की गई है और यह स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि ''किशोर'' की आयु 16 वर्ष से बढाकर 18 वर्ष करना पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। यह भी स्पष्ट है कि किशोरत्व की दलील किसी भी समय उठाई जा सकती है, यहां तक कि प्रासंगिक निर्णय/आदेश के अंतिम रूप में पहुंच जाने के बाद भी और भले ही पहले ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई गई हो।इसके अलावा, यह अपराध करने की तारीख है, न कि संज्ञान लेने या आरोप तय करने या दोषी ठहराए जाने की तारीख, जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।सक अलावा, जहां किशोरवयता की दलील सुनवाई के प्रारंभिक चरण में नहीं उठाई गई है और इसे केवल अपीलीय चरण में लिया गया है, इस न्यायालय ने लगातार दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, लेकिन सजा को रद्द कर दिया है।(देखेंः जयेन्द्र और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1982 एससी 685, गोपीनाथ घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, एआईआर 1984 एससी 237, भूप राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,. एआईआर 1989 एससी 1329, उमेश सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य, एआईआर 2000 एससी 2111, अकबर शेख और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य(2009) 7

एससीसी 415, हरिराम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, (2009) 13 एससीसी 211, बबला उर्फ दिनेश बनाम उत्तराखण्ड राज्य, (2012) 8 एससीसी 800 और अबुजर हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2012) 10 एससीसी 489)।

18. जहां तक आरोपों की संयुक्त सुनवाई का सवाल है, चंकि प्रतिवादी द्वारा वयस्कता प्राप्तक रने के बाद किए गए अपराध बहुत गंभीर प्रकृति के थे, और सेना नियमों के नियम 65 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, केवल समग्र (एकल) सजा स्वीकार्य है, उच्च न्यायालय 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए सजा को प्रतिस्थापित कर सकता था, लेकिन उच्च न्यायालय के पास यह देखने का कोई अवसर नहीं था कि सम्पूर्ण जीसीएम कार्यवाही दूषित थी।

19. सेना अधिनियम की धारा 39(ए) के तहत बिना अवकाश के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर अधिकतम सजा 3 वर्ष है। धारा 52(ए) के तहत किए गए किसी भी अपराध के लि, अधिकतम सजा 10 साल की सजा है, और धारा 69 के तहत, अधिकतम सजा 7 वर्ष सश्रम कारावास है। सम्पणर् परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, सेना नियमों के नियम 65 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर, प्रतिवादी को सभी आरोप साबित होने पर 7 साल के सश्रम कारावास की सजा दी गई। हालांकि अकेले दूसरे आरोप के लिए, प्रतिवादी को 10 साल की सजा दी जा सकती थी, चौथे

और पांचवें आरोप क लिए, उसे प्रत्येक मामले में 3 साल की सजा हो सकती थी, और चार्ज नंबर 6 के लिए 7 साल की सजा हो सकती थी।

20. जहां तक न्याय की विफलता का सवाल है, दरबारा सिंह बनाम पंजा राज्य, एआईआर 2013 एससी 840 में इस न्यायालय ने कहा किः

> ''न्याय की विफलता एक बेहद लचीली या आसान अभिव्यक्ति है, जिसे किसी भी मामले में किसी भी स्थिति में फिट किया जा सकता है। अदालत को सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। ''न्याय की विफलता होगी, न केवल अन्यायपूर्ण दोषसिद्धि से, बल्कि अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करने में अन्यायपूर्ण विफलता के परिणामस्वरूप, दोषियों को बरी कर दिया जाना भी। बेशक, अभियुक्तों के अधिकारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उनकी रक्षा भी की जानी चाहिए, लेकिन उन्हें इस हद तक ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए कि यह भूल जाएं कि पीडितों के भी अधिकार हैं। यह दिखाना होगा कि अभियुक्त को भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत उपलब्ध सुरक्षा के संबंध में कुछ अयोग्यता या हानि का सामना करना पडा है। ''पूर्वाग्रह'' अपने सामान्य अर्थ में व्याख्या करने और

आपराधिक न्यायशास्त्र पर लागू करने में असमर्थ है। पूर्वाग्रह की दलील जांच या मुकदमे के संबंध में होनी चाहिए, न कि उनके दायरे सेबाहर आने वाले मामलों के संबंध में। एक बार जब अभियुक्त यह दिखाने में सक्षम हो जाता है कि इन दोनों पहलुओं के संबंध में उसके साथ गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, और इसने आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत उसे उपलब्ध अधिकारों को नष्ट कर दिया है, तो अभियुक्त न्यायालय के आदेशों के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है। (बल दिया) (यह भी देखेंः शिवाजी साहेबराव बोबडे ओर अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1973 एससी 2622, रफीक अहमद उर्फ रफी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 2011 एससी 3114, रत्तीराम और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 2012 एससी 1485, और भीमन्ना बनाम कर्नाटक राज्य, एआईआर 2012 एससी 3026)

21. रमेश हरिजन बनाम यूपी राज्य, एआईटार 2012 एससी 1979 में, इस अदालत ने एक अनुचित बरी करने के लिए अदालत द्वारा अपनाए गए उदारवादी दृष्टिकोण के मुद्दे से निपटा, और माना कि एक आपराधिक मामले से निपटते समय, यह एक किसी भी अदालत के लिए यह सुनिश्चत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सभी परिस्थितियों में न्याय की गलती से

बचा जाए। (यह भी देखेंः सुच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 2003 एससी 3617, और एस.गणेशन बनाम रामा रघुरामन और अन्य, (2011) 2 एससीसी 83)

22. अभिव्यक्ति ''न्याय की विफलता'' कभी-कभी व्युत्पत्ति संबंधी गिरगिट के रूप में प्रकट होती है। न्यायालय को यह जांचना होगा कि क्या वास्तव में न्याय की विफलता है या यह केवल दिखावा है। न्याय एक ऐसा गुण है जो सभी बाधाओं से परे है। न तो प्रक्रिया के नियम, न ही कानून की तकनीकीताएं इसके रास्ते में आ सकती है। न्याय के आगे कानून भी झुक जाता है, कोर्ट का आदेश किसी के लिए प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, न्याय का अर्थ है दोनों पक्षों के बीच न्याय। न्याय के हित समान रूप से मांग करते हैं कि ''दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए'' और तकनीकीयां और अनियमितताएं, जो'' '' ,
उन्हें न्याय के उद्देश्यों को पराजित करने की अनुमति नहीं है। उन्हें बिल्कुल विपरीत लक्ष्य हासिल करने क लिए विकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह प्रति-उत्पादक होगा। ''अदालतें न्याय देने के लिए हैं, न्याय देने के लिए नहीं। और, जो न्याय दिया जाना है, वह तोड के पेड वाला न्याय या अनोखा न्याय नही है।'' कानून तोडने वालों क लिए कानून भागने का रास्ता नहीं है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो इससे कानून का शासन बनाए रखने से भी बडा अन्याय हो सकता है।इसलिए, दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए, और यदि पर्याप्त न्याय किया गया है, तो

तकनीकीताओं के खिलाफ खडे होने पर उसे पराजित नहीं किया जाना चाहिए। (निर्देशः रमेश कुमार बनाम राम कुमार एवं अन्य, एआईआर 1984 एससी 1929, एस. नागराज बनाम कर्नाटक राज्य, 1993 सप्लिमेंट(4) एससीसी 595, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एवं अन्य बनाम एस.के. शर्मा, एआईआर 1996 एससी 1660, और शमन साहेब एम. मुल्तानी बनाम कर्नाटक राज्य, एआईआर 2001 एससी 921)

23. दिल्ली प्रशासन बनाम गुरूदीप सिंह उबन, एआईआर 2000 एससी 3737 में, इस न्यायालय ने कहा कि न्याय एक भ्रम है क्योंकि 'न्याय' का अर्थ और परिभाषा व्यक्ति दर व्यक्ति और पक्ष दर पक्ष अलग-अलग होती है। एक पक्ष को लगता है कि उसे न्याय केवल और केवल तभी मिलेगा जब वह अदालत के समक्ष सफल हो जाएगा, भले ही उसके पास कोई उचित दावा न हो।(यह भी देखेंः गिरीमल्लप्पा बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी एम एंड एमआईपी और अन्य, एआईआर 2012 एससी 3101)

न्याय वह गुण है जिसके द्वारा समाज/न्यायालय/न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति को चोट या गलत के बावजूद उसका हक देता है।

न्याय उस व्यक्ति के प्रति सही और न्यायसंगत प्रतिपादन करने का एक कार्य जिसने गलत सहा है। इसलिए, न्याय को दया से संयमित करते

समय, न्यायालय को बहुत सचेत रहना चाहिए, कि उसे कुछ अनिवार्य कानून के अनुरूप न्याय करना होगा, क्योंकि मानवीय कार्य इस आधार पर उचित या अनुचित पाए जाते हैं कि वे कानून के अनुरूप या उसके विरोध में समान है या नहीं।

24. सेना नियमों के नियम 51 के अनुसार अभियुक्त को कार्यवाही शुरू होने के शुरूआती चरण में ही क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति उठानी होगी। यदि प्रतिवादी ने उचित स्तर पर किशोरता का मुद्दा उठाया होता, तो जीसीएम का संचालन करने वाला प्राधिकारी उसके द्वारा किशोर के रूप में किए गए अपराधों के संबंध में आरोप हटा सकता था। इसके अलावा, नियम 72 में आरोप तय करने या उस पर दोषसिद्ध होने पर सजा कम करने का प्रावधान है।

प्रतिवादी ने देर से ही सही, सभी अपराधों के लिए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। भारतीय सेना के सदस्य के रूप में, प्रतिवादी राष्ट्र की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध था। हालांकि, अफसोस की बात है कि उनका आचरण उन स्थितियों की याद दिलाता है जबकि ''विधायक अपराधी बन जाता है'' और ''बाड ही फसल खा जाती है''। सीधे शब्दों में कहीं तो उन्होंने राष्ट्र की रक्षा करने के बजाय उसका दुरूपयोग किया। इसलिए उनका आचरण अक्षम्य और सैनिक बनने लायक नहीं था।

25. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा जा सकता है कि 18 वर्ष की

आयु प्राप्त करने के बाद, प्रतिवादी ने चार गंभीर अपराध किए, उसे दूसरे आरोप के लिए 10 साल की सश्रम कारावास, छठे आरोप के लिए 7 साल की सश्रम कारावास और चौथे और पांचवें आरोप के लिए प्रत्येक मामले में 3 साल की सश्रम कारावास की सजा दी जा सकती थी। इसके अलावा, एक संयुक्त मुकदमा चला था और नियम 65 के प्रावधानों के मद्देनजर, 7 साल की सश्रम कारावास की समग्र सजा लगाई गई थी।

26. निस्संदेह, प्रत्येक आरोप एक अलग और विशिष्ट अपराध के संबंध में था। प्रत्येक आरोप पर अलग से मुकदमा चलाया जा सकता था। इस प्रकार, जीसीएम के माध्यम से परीक्षण आंशिक रूप से वैध रहा। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी द्वारा किए गए अपराध, उसी लेन देने का हिस्सा नहीं थे जो उसके द्वारा किशोर के रूप में किए गए अपराधों से संबंधित थे, न ही वे इतने जटिल रूप से गुंथे हुए थे कि उन्हें एक-दूसरे से अलग नही किया जा सकता था। इस प्रकार, आदेश के हिस्से की अमान्यता जीसीएम कार्यवाही को पूरी तरह से अमान्य नहीं कर सकती। इसलिए, कार्यवाही के वैध हिस्से को अपराधों की पृथक्करणीयता के सिद्धांत को लागू करके बचाया जाना आवश्यक है।

27. प्रतिवादी नियम 79 के तहत अलग-अलग आरोपों की अलग-अलग सुनवाई की मांग कर सकता था। हालांकि, उस मामले में सजा बहुत गंभीर होती, क्योंकि सभी सजाएं एक साथ नहीं चल सकती थीं। वास्तव में, प्रतिवादी को सभी आरोपों के संयुक्त परीक्षण से लाभ हुआ और इस

प्रकार, वह किसी भी तरह से यह दावा नहीं कर सकता है कि इस तरह के मार्ग का सहारा लेने से उसका मामला पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया है। उच्च न्यायालय को मामले पर निर्णय लेने के लिए सेना नियमों के नियम 72 से प्रेरणा लेनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें प्रतिवादी के रूप में आरोप या निष्कर्ष अमान्य पाए जाने की स्थिति में सजा कोकम करने का प्रावधान है।नियम 65 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, किशोर के रूप में उसके द्वारा किए गए अपराधों के लिए जीसीएम द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था।

इस प्रकार, प्रतिवादी की सेवा की प्रकृति, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसके द्वारा किऐ गऐ अपराधों की गंभीरता और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि प्रतिवादी ''न्याय, समानता और अच्छे विवेक'' के सिद्धांत के आधार पर भी अनुमति योग्य नहीं था।

28. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। इसमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया है और जीसीएम द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के आदेश को बहाल किया गया है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, जीसीएम द्वारा लगाई गई सजा को घटाकर पांच साल कर दिया गया है। लागत के रूप में कोई आदेश नही किया जायेगा।

के.के.टी.

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री संतोष कुमार बैरवा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****